फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

सुशीला देवी बनाम सरकार

न0 :– 129/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।	
19.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 रकबा 1.6600है0 वाकै ग्राम लालवास, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2 जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के उत्तर–पश्चिम मे स्थित है में से संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 61 गै0मु0सडक से होकर आती जाती है। अप्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 तक 30 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध कराते हुये उक्त रास्ते को राजस्व नक्शें एवं राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने के आदेश प्रदान करें। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार का जवाब एवं अन्य दस्तावेजात को अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने अपनी जवाब/रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 22 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2 में से रास्ता चाहा है। चुकि खसरा नम्बर 2 राजकीय भूमि किस्म चरागाह है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। जिसमें से रास्ता दिया जाना उचित नही है। अतः खसरा नम्बर 2 राजकीय भूमि चरागाह भूमि होने एवं प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता दिया जाना संभव नही है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा अन्य ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नही दर्शाया है। लिहाजा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	